न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 36/2021

1 गुरूदयाल
2 मदनलाल
3 जीताराम
4 गुगनराम
पुत्रगण माडू जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बजरंग लाल दत्तक पुत्र श्री श्योचन्द
2 दाताराम पुत्र रेखा नवीरा मुन्ना
3 सीताराम पुत्र रेखा नवीरा मुन्ना
4 वेदप्रकाश पुत्र रेखा
5 गीता पुत्री रेखा
जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.।
6 शारदा पुत्री रेखा पत्नी छीनाराम जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
7 प्रेम पुत्री रेखा पत्नी जगराज, जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी बख्तावरपुरा, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

8 सीमती पत्नी रेखा जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

9 माला पुत्र लालाराम जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, ज़िला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद प्लांट नम्बर 22 ओम शिव कॉलोनी झोटवाड़ा जयपुर राज.।

10 भगवानी देवी पत्नी रघुवीर जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद प्लांट नम्बर 22 ओम शिव कॉलोनी झोटवाड़ा जयपुर राज.।

11 रतन कुमार पुत्र रघुवीर जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद प्लांट नम्बर 22 ओम शिव कॉलोनी झोटवाड़ा जयपुर राज.।

12 कृपाल सिंह पुत्र श्री फुलचन्द जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद प्लांट नम्बर 22 ओम शिव कॉलोनी झोटवाड़ा जयपुर राज.।

13 श्रीमती रामली देवी पत्नी श्रीराम

14 रोहिताश पुत्र श्रीराम

15 महेन्द्र पुत्र श्रीराम

16 केशर पुत्री श्रीराम

17 राजू पुत्री श्रीराम

जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.।

18 मणी देवी पुत्री भगवानाराम पत्नी सुलतान जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

19 लक्ष्मी देवी पुत्र भगवानाराम पत्नी बनवारी जाति समस्त मेघवंशी (चमार) निवासीगण नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद बसन्त विहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट
1955 खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू
मुकदमा उनवानी गुलाब वगै. बनाम टीमकली वगै.
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा 212 आर.टी.एक्ट
1955 मु.नं. 108/2015 आदेश दिनांक 26.10.2020

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 108/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 19 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.10.2020 को निर्णित कर ताफैसला वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.11.2015 को पुष्ट (कन्फर्म) करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्लींडिग व दस्तावेजी साक्ष्य को बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 भाग द्वितीय व दिवानी प्रकिया संहिता के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। आदेश जैर बहस अपूर्ण, अस्पष्ट व अधूरा है। विचारण न्यायालय के यहां अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के काउण्टर प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित नहीं कर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र को कही भी डिस्कस नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन व अपार क्षति के बिन्दु को तय किये बिना ही निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने जमीन जैर बहस के तमाम दर्ज सहखातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र निर्णित कर कानूनी गलती की है। दावा में दर्ज तमाम प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं थे। कानून से दावा के तमाम पक्षकारान प्रार्थना पत्र में भी पक्षकार होने आवश्यक है। अपीलान्ट जमीन जैर बहस के कोटिनेन्स है। कानून से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित कर विधि की भूल की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के निर्णय से पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का टीआई आवेदन एवं अपीलांट का काउंटर टीआई आवेदन लम्बित था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से दिनांक 05.11.2015 को प्रार्थीगण के हिस्से तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया है। विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लम्बित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना चाहिए था। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को भूमि खसरा नम्बर 583, 644,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

650, 651, 652, 730/653, 756/591, 758/645 वाके ग्राम नगली सलेदी सिंह की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर